

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला दतिया (म.प्र.)

473

क्रमांक / भू-प्रबंधन / पे.नि. / म.टो. / 2017 366-7
27-4-17

दतिया दिनांक 27-4-17

::आदेश::

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र क्रमांक 456/भू.प्र./ वि.स./2017 ग्वालियर दिनांक 8.3.2017 एवं पृ.क./2341/11 भू.प्र./मा.वि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 1.12.2012 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कलेक्टर को म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 73 के अनुसार मजरा टोलों को राजस्व ग्राम गठन करने के अधिकार हैं।

जिला दतिया में मजरा टोला को चिन्हांकित कर म.प्र. भ.रा. संहिता 1959 की धारा 73 के अनुसार राजस्व ग्राम गठित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	तहसील का नाम	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मजरे टोले का नाम जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।	रिमांक
1	2	3	4	5
1	इन्दरगढ़	भरौली	सुखदेवपुरा	

45454

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर

जिला दतिया (म.प्र.)

दतिया दिनांक

पृ0क्रमांक /
प्रतिलिपि :-

/भू-प्रबंधन / पे.नि. / म.टो. / 2017 366-7
27-4-17

1. आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. उपायुक्त भू-अभिलेख क्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवड़ा की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार तहसील इन्दरगढ़ की ओर सूचनार्थ।

त.ल.
[Signature]

कलेक्टर

जिला दतिया (म.प्र.)